भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3128 जिसका उत्तर

शुक्रवार,9 अगस्त, 2024/18 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

बकिंघम नौवहन नहर

†3128.श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बकिंघम नौवहन नहर के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन/ अनुसंधान/ सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो बकिंघम नहर को पूर्णत: कार्यात्मक बनाने के लिए उठाए गए/ उठाए जाने वाले कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान बकिंघम नहर, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में पड़ने वाली नौवहननहर के भाग के पुनरुद्धार के प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित/ उपयोग की गई:

(घ) क्या सरकार ने नहर को पूर्ण रूप से चालू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने बकिंघम नहर की मौजूदा अवसंरचना के किसी उन्नयन का कार्य करने पर विचार किया है और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान आवंटित/ उपयोग की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख):जी, हां। आईडब्ल्यएआई द्वारा रा.ज.-4 में बकिंघम नहर पर निम्नलिखित अध्ययन/अनुसंधान/सर्वेक्षण किए गए हैं:-

i. रा.ज.-4 में गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ काकीनाडा – पुदुच्चेरी नहर में नौचालन के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।

ii. तमिलनाडु में रा.ज.-4 की दक्षिण बकिंघम नहर के शोलिंगनल्लूर से तिरुवनमियुरके बीच के जलखंड के विकास के लिए अध्ययन और परियोजना प्रस्ताव तैयार करना।

iii. तमिलनाडु में रा.ज.-4 की दक्षिण बकिंघम नहर के शोलिंगनल्लूर से कलपक्कम के बीचके जलमार्ग खंड के विकास के लिए प्रांरभिक अभियांत्रिकी।

नहर के सर्वेक्षण के दौरान बहुत से स्थानों पर गाद जमा होने और कुछ हिस्सों में तटबंधों के समतलीकरण, गैर कार्यशील लॉक संरचनाओं, कम ऊंचाई के पुलों के साथ ही बहुत से हिस्सों में बड़ी मात्रा में अतिक्रमण का पता चला है। इसके साथ ही, पूर्वी तट के आस-पास बकिंघम नहर के समानांतर सड़क और रेल नेटवर्क का विकास हुआ है। इसलिए इसको प्रचालनरत करना नौचालन के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य पाया गया। बकिंघम नहर में अतिक्रमणों को हटाना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है।

(ग):विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पड़ने वाली नौवहन नहर के भाग सहित बकिंघम नहरके पुनरुद्धार के प्रयोजनार्थ कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है।

(घ):बकिंघम नहर के बहुत से हिस्सों में बड़ी मात्रा में अतिक्रमणों के कारण इस समय कोई भी विकास कार्य परिकल्पित नहीं है।

(ङ): जी, नहीं।

***